अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

बाबुजी सोरेन
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–विदमार पहाड न0 34

आदेश–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 51 / 2019–20

आदेशकी कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
19.8.19	अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 988/रा0 दिनांक 14.08.2019 के द्वारा मौजा– विदमार पहाड न0–34 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– विदमार पहाड न0–34 में दिनांक 30.07.2019 को श्री चुण्डो मरांडी के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से बाबुजी सोरेन, पिता–स्व0 पाण्डु सोरेन, ग्राम– मंगलाडीह, को मौजा– विदरमार पहाड न0–34 में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, पतना ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– विदमार पहाड न0–34 एक प्रधानी मौजा है। जिसमें प्रधानी पद रिक्त है। पूर्व में स्व0 बाबुराम सोरेन बहाल ग्राम प्रधान थे। मौजा विदमार पहाड में ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बाबुजी सोरेन पिता–स्व0 पाण्डु सोरेन, ग्राम–मंगलाडीह, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। बाबुजी सोरेन के बहाली के संबंध में मौजा 16 आना रैयतो को कोई आपत्ति नही है। बाबुजी सोरेन एवक शिक्षित एवं कर्मठ व्यक्ति है। अतएव बाबुजी सोरेन प्रधान बनने योग्य है। अतएव अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक बाबुजी सोरेन को मौजा– विदमार पहाड, थाना न0–34, में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 425/रा0 दिनांक 21.8.19

Scanned with CamScanner